



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 17 मई, 2010  
(27 वैशाख, 1932 शक)

### विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग-II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का० आ० 68/ह०अ० 6/2003/घा० 60/2010, दिनांक 17 मई, 2010.— हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2010 (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	707—718
भाग-IV	शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

Price : Rs. 5.00

(liv)

भाग-III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 मई, 2010

संख्या का० आ० 68/ह०अ० 6/2003/धा० 60/2010.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 3/ह०अ० 6/2003/धा० 60/2010, दिनांक 02-04-2010, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2010, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में, नियम 11 में :—

(क) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(5) धारा 11 की उप-धारा (2) के अधीन पंजीकरण के लिए कोई आवेदन व्यवहारी द्वारा प्ररूप वैट क-1 में समुचित निर्धारण प्राधिकारी को, अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए उसके दायी होने से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा और वह आयुक्त द्वारा यथा निदेशित वैट क-1 में आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों या कोई अन्य दस्तावेज/पहचान चिह्न लगाएगा :—

(i) पंजीकरण फीस के मद्दे एक सौ रुपये की राशि सरकारी राजकोष में जमा करवाकर प्राप्त की गई खजाना रसीद या प्रार्थना-पत्र पर चिपकाई गई एक सौ रुपये की न्यायालय फीस स्टैम्पस ;

(ii) नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो और (क) स्वत्वधारीत्व की दशा में स्वत्वधारी :

(ख) भागीदारी फर्म की दशा में सभी भागीदार ; (ग) अविभाजित हिन्दु परिवार की दशा में कर्ता; (घ) सोसाइटी की दशा में कारबार का प्रबन्ध करने

वाला सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव या अधिकारी; (ड) कम्पनी की दशा में, कम्पनी का कारबार प्रबन्ध करने वाला कम्पनी का अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, निदेशक या मुख्य अधिकारी; (च) सरकारी विभाग की दशा में, विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में कल्ब के सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत या कल्ब के कामकाज का प्रबन्ध करने वाले व्यक्ति के पहचान का सबूत/पहचान सबूत में फोटो सहित वर्तमान वोटर आई०डी० कार्ड या पासपोर्ट या राशन कार्ड या फोटो सहित ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक या फोटो सहित सरकार द्वारा जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज हो :

- (iii) कारबार परिसर में मिली हुई भूमि के अग्रभाग की फोटो इसकी उचित अवस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए बाईं तथा दाईं तरफ पर कारबार परिसर के भाग पर चित्रित हो :

(आवेदक द्वारा फोटो हस्ताक्षरित होनी चाहिए)

- (iv) आवेदक के लिए खड़े व्यक्ति (यो) की नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो (ज) जो कि राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक/बैंक मैनेजर द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित हो :
- (v) कारबार जिसके लिए पंजीकरण हेतु आवेदन दिया है, के आय कर विभाग द्वारा जारी स्थाई लेखा संख्या की सत्यापित प्रति :
- (vi) कारबार परिसर की रेंट डीड की सत्यापित प्रति यदि ये किराए पर लिया गया है या स्वत्वधारी/अविभाजित हिन्दु परिवार/फर्म/कम्पनी/व्यक्तियों के संगम इत्यादि द्वारा स्वतः स्वामित्वाधीन है तो हक विलेख की सत्यापित प्रति :

(ख) उप-नियम (7) में,—

(i) "I" चिह्न के स्थान पर ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) उप-नियम (7) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् : —

“ परन्तु निर्धारण प्राधिकारी, सम्बन्धित कार्यालय में पंजीकरण हेतु आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन के भीतर प्ररूप वैट क-1 में प्राप्त आवेदन का निपटारा करेगा ।”

3. उक्त नियमों में, नियम 20 में :—

(क) विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

“(3) कर के भुगतान पर राज्य में अन्य वैट व्यवहारी से काराधेय माल का क्रय करने वाला कोई वैट व्यवहारी ऐसे माल के सम्बन्ध में निवेश कर के अपने दावे

के समर्थन में, विक्रेता वैट व्यवहारी द्वारा उसको प्रस्तुत किया गया प्ररूप वैट ग-4 में एक प्रमाण-पत्र कर बीजक सहित कराधेय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जब उस द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए। विक्रेता वैट व्यवहारी तथा कराधेय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा करने पर उसको प्रस्तुत की जाने वाली ऐसे प्रमाण-पत्र की दोहरी प्रति अपने पास रखेगा, एक रजिस्टर में जब कभी वह उससे अपेक्षा करे इन प्रमाण-पत्रों का सही रिकार्ड को रखेगा तथा प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़ते क्रम में मुद्रित क्रम संख्या में जारी किए जाएंगे।”;

(ख) विद्यमान उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

“ (4) कर बीजक पर विक्रेता वैट व्यवहारी का, अन्य वैट व्यवहारी को उस द्वारा माल के विक्रय पर कर भुगतान का दायित्व समाप्त नहीं होगा यदि वह क्रय कर रहे वैट व्यवहारी को पूर्वगामी उप-नियम में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल है या झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है तथा इस कारण के लिए कर बाद वाले से वसूल कर लिया जाता है किन्तु यदि विक्रेता वैट व्यवहारी उसको देय कर बाद में भुगतान कर देता है, तो क्रय कर रहे वैट व्यवहारी का दायित्व तदनुसार समाप्त हो जाएगा तथा वह ऐसे देयों की वसूली के तीन वर्षों के भीतर उसके द्वारा भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा कर सकता है।”

4. उक्त नियमों में, नियम 25 में :—

(क) विद्यमान उपबन्ध उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा ;

(ख) पुनः संख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा अर्थात् : —

“ (2) (क) कार्य संविदा अथवा जॉब वर्क के निष्पादन से निकाले आवर्त के मामले में कराधेय आवर्त दर्शाने वाली राशि में से भ्रम, सेवाओं की ओर प्रभार और अन्य प्रभार इसके अध्यक्षीन कि व्यवहारी उचित अभिलेख जैसा कि बीजक वाउचर, चालान अथवा कर लगाने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु प्रभार के भुगतान का सबूत देने वाला कोई अन्य दस्तावेज रखता है, के प्रभार निकाले जाएंगे ;

(ख) उप-नियम (2) में, खण्ड (क) के प्रयोजन हेतु भ्रम, सेवाएं और अन्य समान प्रभारों की ओर निम्नलिखित प्रभार शामिल होंगे . —

(i) कार्यो निष्पादन हेतु भ्रम सेवाओं की ओर प्रभार ;

(ii) योजना और वास्तुशिल्पियों की फीस के लिए प्रभार ;

(iii) कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयोग में आने वाले उपभोग जैसा कि जल, विद्युत, ईंधन इत्यादि सम्पत्ति जो कार्य संविदा के निष्पादन के सिलसिले में

अन्तरित न हो, की लागत :

- (iv) उस सीमा तक जहां तक श्रम और सेवाएं जारी रखने का सम्बन्ध है, संविदाकार की स्थापना की लागत;
- (v) श्रम और सेवाओं से सम्बन्धित अन्य समान खर्च ;
- (vi) कार्य स्थलों के लाभ तथा हानि के खाते प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन श्रम और सेवाएं जहां तक ये संविदाकार द्वारा अर्जित किये गए लाभ से सम्बन्धित हैं :

परन्तु जहां श्रम, सेवाओं के प्रभार की राशि तथा अन्य दूसरे प्रभार व्यवहारी के खाता किताबों से निश्चय नहीं होते या व्यवहारी ऐसे प्रभारों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे प्रभारों की राशि नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट मूल्यवान प्रतिफल की प्रतिशतता पर संगणित की जाएगी :—

#### तालिका

#### संकर्म संविदा या जॉब वर्क के लिए प्रतिशतता

क्रम संख्या	संविदा के प्रकार	श्रम, सेवा तथा अन्य प्रभारों के कुल मूल्य की संविदा, प्रतिशतता के रूप में
1	2	3
1.	प्लांट तथा मशीनरी के निर्माण तथा स्थापना	पच्चीस प्रतिशत
2.	आयरन ट्रयसिस, पूरलियोनस तथा उसी प्रकार की पूर्ति तथा निर्माण सहित लोहे तथा स्टील संकर्म संरचना का निर्माण तथा पुनः	पन्द्रह प्रतिशत
3.	भारी वस्तुओं को हटाने तथा उठाने वाले यन्त्र का निर्माण तथा स्थापना	पन्द्रह प्रतिशत
4.	वस्तुओं को ऊपर उठाने तथा नीचे लाने वाले यन्त्र का निर्माण तथा स्थापना	पन्द्रह प्रतिशत
5.	एक तरफ मुड़ने और सुकुड़ने वाले दरवाजों का निर्माण तथा स्थापना	पन्द्रह प्रतिशत
6.	सिविल संकर्म जैसे कि इमारतों, पुलों, सड़कों, बान्धों, सीवरेज, नहरों और नालों के निर्माण पर	पच्चीस प्रतिशत

1	2	3
7.	दरवाजों, चौखटें, खिड़कियों, फ्रेम तथा ग्रील स्थापना	पन्द्रह प्रतिशत
8.	टाईल्स, स्लैब, पत्थर तथा सीटों की पूर्ति करना	बीस प्रतिशत
9.	एयर कन्डिशन तथा एयर कूलर की पूर्ति तथा स्थापना तथा जोड़ना	पन्द्रह प्रतिशत
10.	वातानुकूलक यन्त्र जिसमें डीप फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज प्लांट ह्यूमीडिफिकेशन प्लांट तथा डि-ह्यूमीडरस सम्मिलित हों, की पूर्ति तथा स्थापना	पन्द्रह प्रतिशत
11.	बिजली के समान फिटिंग, आपूर्ति और बिजली के उपकरणों ट्रांसफार्मर सहित की स्थापना	पन्द्रह प्रतिशत
12.	आन्तरिक सजावट और झूठी सिलिंग के लिए ठेके सहित फर्नीचर और फिक्चर, पार्टीशनज की आपूर्ति	पन्द्रह प्रतिशत
13.	रेलवे द्वारा आपूर्ति किए गए परिवहन के अधीन रेल कोच और वैगनों का निर्माण	बीस प्रतिशत
14.	मोटर वाहन की बाडीज के निर्माण तथा ट्रेलरों के निर्माण	बीस प्रतिशत
15.	नलसाजी और जल निकासी या सीवरेज के लिए सेनेटरी फिटिंग	पच्चीस प्रतिशत
16.	भूमिगत सतह पर डाली जाने वाली पाईप लाईन, केवल या जल प्रणाली	तीस प्रतिशत
17.	वस्त्रों की डाईंग और छपाई	तीस प्रतिशत
18.	भार तोलक यन्त्रों की आपूर्ति	पन्द्रह प्रतिशत
19.	रंगसाजी, पॉलिश करने तथा सफेदी करने के कार्यों पर	तीस प्रतिशत
20.	टायर को फिर से चलाने योग्य बनाने	चालीस प्रतिशत
21.	फोटोग्राफी और मुद्रण संविदाएं	तीस प्रतिशत
22.	इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो गालवेनाइजिंग और एनोडाइजिंग तथा उसी प्रकार के	चालीस प्रतिशत
23.	उपरोक्त सभी अन्य संविदाएं जो क्रम संख्या 1 से 22 में विनिर्दिष्ट नहीं हैं	बीस प्रतिशत

परन्तु जहां व्यवहारी श्रम, सेवाओं तथा अन्य उसी प्रकार के प्रभारों के मद्दे को खाते में कटौती का दावा ऊपर तालिका में विनिर्दिष्ट मूल्यवान प्रतिफल प्रतिशतता (कुल संविदा का मूल्य) से अधिक कर लगाने के लिए निर्धारण प्राधिकारी व्यवहारी को लिखित रूप में दावा स्वीकार करने के लिए कारणों को अभिलिखित करना होगा।”।

5. उक्त नियमों में, विद्यमान प्ररूप वेट ग-4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

## “प्ररूप वैट ग-4

[देखिए नियम 20 (1), (2), (3)]

## प्रमाण-पत्र

धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन निवेश कर के दावे के लिए करयोग्य माल के सम्बन्ध में क्रय कर रहे वैट व्यवहारी को विक्रय कर रहे वैट व्यवहारी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हम----- (विक्रय कर रहे व्यवहारी का नाम और पूरा पता) करदाता पहचान संख्या (टिन) -----, ----- जिले में हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन पंजीकृत हैं ने.

(i) हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत टी आर संख्या ----- दिनांक ----- द्वारा पूरी राशि अदा कर दी है

(ii) मैसर्ज ----- (विक्रय कर रहे व्यवहारी का नाम और पूरा पता) टिन----- द्वारा मैसर्ज----- (क्रय कर रहे व्यवहारी का नाम व पूरा पता) टिन----- को बचे गये माल पर अदा किए गए निवेश कर का समायोजन नीचे दर्शाये गए कर बीजकों के अनुसार कर दिया है .

क्रम संख्या	बचे गए माल का विवरण	कर बीजक संख्या	दिनांक	करयोग्य राशि	कर की राशि
कुल					

1. कुल करयोग्य राशि -----

2. कुल कर राशि -----

स्थान -----

तारीख-----

विक्रय कर रहे वैट व्यवहारी के हस्ताक्षर

नाम-----

हेसियत -----

व्यवहारी की मोहर

कार्यालय

टिप्पण : 1. मूल प्रति विक्रेता व्यवहारी द्वारा क्रय व्यवहारी को जारी की जाए।

2. छाया प्रति विक्रय करने वाले वैट व्यवहारी द्वारा रखी जाएगी।

3. जो लागू न हो काट दिया जाये। ”।

रमेश्र जाखू ,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आवकारी तथा कराधान विभाग।।

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 17th May, 2010

**No. S. O. 68/H.A. 6/2003/S. 60/2010.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with sub-section (3) of section 60 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. web. 3/H.A. 6/2003/S. 60/2010, dated the 2nd April, 2010, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, namely :—

**1.** (1) These rules may be called the Haryana Value Added Tax (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force with effect from date of publication of this notification in the Official Gazette.

**2.** In the Haryana Value Added Tax Rules, 2003, (hereinafter referred to as the said rules) in rule 11;—

(a) for existing sub-rule (5), the following sub-rule (5), shall be substituted, namely :—

“(5) An application for registration under sub-section (2) of section 11 shall be made by the dealer to the appropriate assessing authority in Form VAT-A1 within a period of fifteen days from his becoming liable to pay tax under the Act, and he shall append the following documents to the application VAT A-1 or any other document/identification mark as directed by the Commissioner;

- (i) Treasury receipt showing deposit of one hundred rupees in the appropriate Government treasury or the Court fee stamps worth one hundred rupees duly affixed on the application on account of registration fee;
- (ii) Latest passport size photo(s) and identity proof of (a) proprietor in case of proprietorship, (b) all the partners, in case of partnership firm, (c) Karta, in case of an Hindu Undivided Family, (d) Chairman, Secretary or an officer of the Society managing the business, in case of a Society, (e) Chairman, Managing Director, a Director or Principal Officer of the Company managing the business, in case of a Company, (f) Head of the Department or any other officer duly authorized in writing by him, in case of Government Department; and (g) a person managing the affairs of the Association of persons or Club duly authorized by the members of the Association of persons or the Club. Identity

proof shall consist of existing voter ID card or passport or ration card with photographs or driving license or bank passbook with photo or any other document issued by the Government having photo ID;

- (iii) Photo of the front of the business premises which also depicts parts of the business premises on left and right sides to ascertain its proper location (photo should be signed by the applicant);
- (iv) Latest passport size photo(s) of the person(s) standing surety for the application, duly attested by a Gazetted Officer/Notary Public/Bank Manager;
- (v) Attested copy of Permanent Account Number issued by Income Tax Department of the business entity for which registration is applied for;
- (vi) Attested copy of Rent Deed of the business premises, if the same is taken on rent or attested copy of the title deed, if the business premises is self-owned by the proprietor/Hindu Undivided Family/firm/Company/Association of Persons etc.”;

(b) in sub-rule (7).—

- (i) for the sign ” ”, the sign ‘:’ shall be substituted;
- (ii) after sub-rule (7), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided further that the assessing authority shall dispose of the application for registration in Form VAT-A1 within sixty days of the date of receipt of the said application in the office concerned.”.

3. In the said rules, in rule 20,—

- (a) for the existing sub-rule (3), the following sub-rule (3), shall be substituted:—

“(3) A VAT dealer making purchase of taxable goods from another VAT dealer in the State on payment of tax shall, in support of his claim of input tax in respect of such goods, produce before a taxing authority when so required by it, along with a tax invoice, a certificate in Form VAT-C4 furnished to him by the selling VAT dealer who shall keep duplicate copy of such certificate with him to be produced before a taxing authority whenever the latter so requires and maintain a proper record of such certificates in a register, and the certificates shall be issued bearing printed Sr. No. in ascending order during the financial year.”

- (b) for the existing sub-rule (4), the following sub-rule (4), shall be substituted :—

“(4) The liability of a selling VAT dealer to pay tax on sale of goods by him to other VAT dealer on tax invoice shall not abate if he fails to furnish a certificate or furnishes a false certificate referred to in the foregoing sub-rule to the purchasing VAT dealer and tax for this reason has been realised from the latter but if the selling VAT dealer later pays the tax due from him, the liability of the purchasing VAT dealer shall accordingly abate and he may, within three years of recovery of such dues, claim refund of tax paid by him.”.

4. In the said rules, in rule 25,—

- (a) the existing provision shall be numbered as sub-rule (1); and
- (b) after sub-rule (1) so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(2) (a) In case of turnover arising from the execution of the works contract or job work, the amount representing the taxable turnover shall exclude the charges towards labour, services and other like charges subject to the dealer’s maintaining proper records such as invoice, voucher, challan or any other document evidencing payment of charges to the satisfaction of the Taxing Authority.’

(b) For the purpose of clause(a) of sub-rule (2), the charges towards labour services and other like charges shall include,—

- (i) labour charges for execution of works;
- (ii) charges for planning and architect’s fees;
- (iii) cost of consumables such as water, electricity, fuel, etc. used in the execution of the works contract the property in which is not transferred in the course of execution of a works contract;
- (iv) cost of establishment of the contractor to the extent it is relatable to supply of labour and services;
- (v) other similar expenses relatable to supply of labour services;
- (vi) profit earned by the contractor to the extent it is relatable to supply of labour and services subject to furnishing of a profit and loss account of the works sites :

Provided that where the amount of charges towards labour, services and other like charges are not ascertainable from the books of accounts of the dealer or the dealer fails to produce documentary evidence in support of such charges, the amount of such charges shall be calculated at the percentages of valuable consideration specified in the Table given below :—

TABLE  
PERCENTAGES FOR WORKS CONTRACTS OR JOB WORKS

Sr. No.	Type of contract	Labour, service and other like charges as percentage of total value of the contract
1	2	3
1.	Fabrication and installation of plant and machinery	Twenty five percent
2.	Fabrication and erection of structural works of iron and steel including fabrication, supply and erection of iron trusses, purlins and the like.	Fifteen per cent
3.	Fabrication and installation of cranes and hoists.	Fifteen percent
4.	Fabrication and installation of elevators (lifts) and escalators.	Fifteen percent
5.	Fabrication and installation of rolling shutters and collapsible gates.	Fifteen percent
6.	Civil works like construction of buildings, bridges, roads, dams, barrages, canals and diversions.	Twenty five percent
7.	Installation of doors, doorframes, windows, frames and grills.	Fifteen percent
8.	Supply of fixing of tiles, slabs, stones and sheets.	Twenty percent
9.	Supply and installation of air conditioners and air coolers.	Fifteen percent
10.	Supply and installation of air conditioning equipment including deep freezers, cold storage plants, humidification plants and de humidors.	Fifteen percent
11.	Supply and fitting of electrical goods, supply and installation of electrical equipments including transformers.	Fifteen percent

1	2	3
12.	Supply and fixing of furniture and fixtures, partitions including contracts for interior decoration and false ceiling.	Fifteen percent
13.	Construction of Railway coaches and wagons on under carriages supplied by Railway.	Twenty percent
14.	Construction or mounting of bodies of motor vehicle and construction of trailers.	Twenty percent
15.	Sanitary fitting for plumbing and drainage or sewerage.	Twenty five percent.
16.	Laying underground surface pipelines, cables or conduits.	Thirty percent
17.	Dyeing and printing of textiles.	Thirty percent
18.	Supply and erection of weighing machines and weighbridges.	Fifteen percent
19.	Painting, polishing and white washing.	Thirty percent
20.	Tyre retreading	Forty percent
21.	Photography and Printing Contracts	Thirty percent
22.	Electroplating, Electro Galvanizing and Anodizing and the like	Forty percent
23.	All other contracts not specified from Sr. No. 1 to 22 above.	Twenty percent

Provided further that where the dealer claims deduction on account of labour, services and other like charges exceeding the percentages of valuable consideration (of total contract value) specified in the above Table, the assessing authority will have to record reasons in writing for accepting the claim of the dealer."

5. In the said rules, for existing form VAT C-4, the following form shall be substituted, namely :—

**"Form VAT C-4**

Serial No. ....

[See rule 20(1), (2) and (3)]

**CERTIFICATE**

Certificate to be issued by a selling VAT dealer to a purchasing VAT dealer in respect of taxable goods for claim of input tax under sub-section (3) of section 8.

Certificate that I/We .....  
(Name and complete address of the selling dealer) having Taxpayer Identification Number (TIN) ..... registered under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 in District ..... ; (i) have paid the full amount of tax under the Haryana Value Added Tax Act, 2003 vide TR No. .... date ...../ (ii) have adjusted the input tax paid to M/s .....  
(Name and complete address of the selling dealer) holding TIN ..... on the goods sold to M/s ..... (Name and complete address of the purchasing dealer) holding TIN ..... as per tax invoice(s) stated below :—

Sr. No.	Description of goods sold	Tax Invoice No.	Date	Taxable Amount	Amount of tax
Total					

1. Total taxable amount :- Rs. ....

2. Total amount of tax :- Rs. ....

Place : .....

Date : .....

Signature of the selling VAT dealer

Name .....

Status .....

Stamp of the Dealer

(official seal.)

- \*Note :
1. Original copy to be issued by the selling dealer to the purchasing dealer
  2. Duplicate copy to be retained by the selling VAT dealer.
  3. Strike out whichever is not applicable."

RAMENDRA JAKHU,

Financial Commissioner and Principal Secretary  
to Government, Haryana,  
Excise and Taxation Department.